

उनवान -सरकार बनाम टिकलसिंह जादौन पुत्र कृष्णकुमार जाति ठाकुर नि0ग्राम चौदपुरा
तह0वसेडी, प्रो0मैसर्स टिकल किराना स्टोर सरमथुरा तहसील बसेडी
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य बिक्रित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री टिकलसिंह जादौन पुत्र कृष्णकुमार जाति ठाकुर नि0ग्राम चौदपुरा तह0वसेडी, प्रो0मैसर्स टिकल किराना स्टोर सरमथुरा तहसील बसेडी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2019 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स टिकल किराना स्टोर सरमथुरा तहसील बसेडी का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में रखे 10 जार प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। अप्रार्थी ने खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) में से 1-1 लीटर के 4 जार वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया उक्त प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) नमूना डी-1623 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 13.08.2019 के अनुसार उक्त प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) मिसब्रान्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्रान्ड प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्रान्ड प्रोपराईट्री फूड (निर्मेय) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री टिकलसिंह जादौन पुत्र कृष्णकुमार जाति ठाकुर नि0ग्राम चौदपुरा तह0वसेडी, प्रो0मैसर्स टिकल किराना स्टोर सरमथुरा तहसील बसेडी पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 3500/-रुपये (तीन हजार पाँच सौ रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकनील पत्रावली वाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र क. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)